

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म्स के नामांकन हेतु विज्ञापन

एमपीसीवेट कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 का आंतरिक/कॉन्करेंट अंकेक्षण/कौशल विकास योजनाओं में संपादित किये जाने वाले दस्तावेजों का वित्तीय अंकेक्षण/परीक्षण एवं कर परामर्श हेतु अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म्स की नियुक्ति के पैनल का संधारण किया जाना है।

इच्छुक आवेदक फर्म जिनके पास 15 वर्षों का अनुभव हो जिसमें से मध्यप्रदेश शासन के विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में उपरोक्त कार्यों को संपादित करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो एवं जिनका कार्यालय भोपाल में स्थित हो से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं एवं इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म्स अपना आवेदन बायोडाटा, अनुभव एवं दर प्रतिमाह आदि सहित दिनांक 15 मई, 2017 अपरान्ह 02 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, गैस राहत आईटीआई परिसर, गोविंदपुरा भोपाल-462023 में आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत करें। आवश्यक दिशा निर्देश mpskills.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं
प्रशिक्षण परिषद, भोपाल

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म्स के लिए आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. उक्त अंकेक्षण कार्य हेतु सुरक्षा निधि आवेदन पत्र के साथ राशि 10,000/- डी.डी. के माध्यम से CEO, MPCVET Bhopal के नाम जमा करानी होगी जो कि अंकेक्षण कार्य अवधि सम्पूर्ण होने के पश्चात वापस की जावेगी।
2. उक्त अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स में कम से कम 4 सी.ए. पार्टनर एवं इनमें से 2 एफ.सी.ए. पार्टनर का होना आवश्यक है। कम से कम 1 सी.ए. पार्टनर का Disa/Cisa and Certificate on Forensic Accounting and Fraud Detection (CFAFD) होना आवश्यक है
3. उक्त अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स का अनुभव कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक है। जिसमें कम से कम 5 वर्षों का मध्यप्रदेश शासन के विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में समान कार्यों को संपादित करने का होना आवश्यक है।
4. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म्स का कार्यालय भोपाल में स्थित होना आवश्यक है।
5. उक्त अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स को शासकीय योजनाओं, पी.एस.यू. तथा राष्ट्रीयकृत बैंक का अनुभव आवश्यक है।
6. उक्त फर्म को टी.डी.एस./आयकर तथा हस्तलिखित केश बुक रीडिंग दस्तावेजों/एमओयु का वित्तीय आंकलन का अनुभव होना आवश्यक है।
7. प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट में प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाता बैलेंस शीट, बैंक समाधान पत्रक शामिल होंगे।
8. प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में प्रदान करना होगा।
9. यदि शासन के निर्देशानुसार आडिट रिपोर्ट, दस्तावेजों/एमओयु का वित्तीय आंकलन में किसी संशोधन की आवश्यकता हुई तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स द्वारा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के संशोधित रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।
10. सप्ताह में पांच दिन एक आर्टिकल क्लर्क एवं सप्ताह में तीन दिन सी.ए. का कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
11. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म्स द्वारा दी गई दरें प्रतिमाह के आधार पर दी जावेगी।
12. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स को भुगतान की जाने वाली राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।

13. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म्स को निम्न कार्य संपादित करना होगा जो इस प्रकार हैं:- मिशन/परिषद् का टी.डी.एस./आयकर नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास का रिटर्न फाइल करना, संस्था द्वारा भुगतान की गई राशि का ऑडिट करना, कैश बुक का आडिट करना, बैंक की राशि का मिलान करना, मिशन/परिषद् द्वारा अर्जित ब्याज राशि का फार्म-।। के तहत आयकर विभाग से छूट प्राप्त करना, ए.जी. ऑडिट का पैरा तैयार करने में सहायता प्रदान करना, ए.जी. ऑडिट के समय उपस्थित रहकर ऑडिट संपन्न कराना, मिशन/परिषद् के पास उपलब्ध निधि का वित्तीय प्रबंधन कराना।
14. मिशन/परिषद् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/वित्त अधिकारी की यदि वित्तीय प्रबंधन में कमी या त्रुटि होने पर सुझाव प्रदान करना।
15. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट में प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाता बैलेंस शीट, बैंक समाधान पत्रक शामिल होंगे। प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में प्रदान करना होगा।
16. वित्तीय ऑन लाईन भुगतान/पोर्टल की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट मिशन/परिषद् को प्रस्तुत करना।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/वित्त अधिकारी द्वारा मिशन/परिषद् के लेखा से संबंधित समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
18. एमपीसीवेट का नाम परिवर्तित कर एमपीएसएसडीएम किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। नाम परिवर्तित होने पर एमपीसीवेट के स्थान पर समस्त उपरोक्त कार्य एमपीएसएसडीएम के लिये किये जाना होंगे।
19. किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद का क्षेत्र भोपाल न्यायालय होगा।

चयन के मापदण्ड

1. अंतिम तिथि 15 मई, 2017 को अपरान्ह 03 बजे चयन समिति एवं निविदाकारों के समक्ष प्राप्त निविदायें खोली जाएंगी।
2. प्राप्त निविदाओं की मेरिट सूची बनाई जाएगी जिसमें उच्च अनुभव एवं न्यूनतम दरों को दृष्टिगत रखते हुए चयन पर विचार किया जावेगा।
3. उक्त दिनांक को शासकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदायें खोली जाएंगी।
4. चयनित 01 से अधिक फर्मों की दरें एवं अनुभव एक सा होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीसीवेट का निर्णय अंतिम होगा।
5. यदि निविदा में एक ही फर्म निविदा करती है तब उसी की नियुक्ति पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

**Expression of Interest for short listing Chartered Accountant
Firms for the audit of the accounts of SSA**

1.	Name of the firm (in Capital letters)	
2.	Address of the Head Office(Please also give telephone no. and e-mail address)	
3.	PAN No. of the firm	
4.	Service Tax Reg. No	
5.	ICAI Registration No.	
6.	Date of constitution of the firm	
7.	Date since when the firm has a full time FCA	
8.	No. of Partners	
9.	Number of staff including article	
10.	Number of Branches	
11.	Details of audit Experience of the firm for the last 5 years Govt., PSU. & Banks Audits	
12.	Whether there are any court / arbitration /any other legal case against the firm. (If yes, give a brief note of the case indicating its present starts)	
13.	Security Deposit (D.D. Number and Bank Name)	

Date :.....

Chartered Accountant
Sign with seal
Mobile No.